न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

रसद विविध :: 73/2024

जी.सी.एम.एस.नम्बर : 2024/345

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी मारवाड़ जंक्शन		1. श्याम सुन्दर पुत्र किशन अग्रवाल निवासी सत्यनारायण मंदिर के पास मारवाड़ जंक्शन हाल फर्म मालिक के चाचा 2. प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र नृसिंहलाल अग्रवाल निवासी सत्यनारायण मंदिर के पास मारवाड़ जंक्शन हाल प्रोपराईटर फर्म मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार सिंधी बाजार मारवाड़ जंक्शन

"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1. प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 23/12/2024

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग संग्रहण एवं भण्डारण कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन आदेश 2000 के क्लॉज 3ए,सी की अवहेलना कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्ड़नीय अपराध करने से जब्तसुदा सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस अनुपस्थित होने से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्यां 1 की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो को दौहराते हुए कथन किया कि दिनांक 26.09.2024 को मन प्रवर्तन अधिकारी मारवाड़ जंक्शन हमराह श्री कमल कुमार पंवार प्रवर्तन अधिकारी एवं जितेन्द्रसिंह आशिया प्रवर्तन अधिकारी संयुक्त रूप से गैस सिलेण्डर की अवैध रिफिलींग एवं घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण के दौरान अप्रार्थी की फर्म मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार सिंधी बाजार मारवाड़ जंक्शन तहसील मारवाड़ जंक्शन पर पहुंचे। मौके पर श्याम सुन्दर पुत्र :किशन अग्रवाल उपस्थित मिले जिन्होने खुद को दुकान का प्रोपराईटर का चाचा होना बताया। मौके पर रूबरू मौतबिरान राजेन्द्र कुमार पुत्र

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जमनालाल निवासी माली मोहल्ला शमशान के पास मारवाड़ जंक्शन एवं श्री कन्हैयालाल पुत्र मुलाराम निवासी मारवाड़ जंक्शन की उपस्थिति में प्रतिष्ठान में जांच के दौरान 03 घरेलु गैस सलेण्डर (14.02 किग्रा) एच पी कम्पनी के पाये गये, जिनका उपयोग भट्‌टी से खाद्य सामग्री निर्माण कार्य में किया जा रहा था।

अप्रार्थी से मौके पर प्राप्त गैस सिलेण्डर से सम्बन्धी आवश्यक विधिक दस्तावेज मांगने पर कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, न ही संतोष जनक जवाब दिया। जिस पर गैस सलेण्डरों के अवैध रूप से भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लिए जाने पर गैस सिलेण्डरों का उपयोग रूकवाया जाकर मौके पर मैसर्स मंगलम एचपी गैस एजेन्सी, मारवाड़ जंक्शन के प्रतिनिधी द्वारा हैंगिग स्केल से तौल करवाने पर निम्न सारणी–1 के अनुसार स्थिति पाई गई :–

सारणी–1

(वजन Kg.मे)

क्र. सं.	नाम	कम्पनी	सिलेण्डर पर एलपीजी उपदर्शित मानक भार/क्षमता	भरे हुये सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस का वजन	सिलेण्डर नम्बर
1	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	28400	15.800	12.600	956322 S
2	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	23.900	15.300	8.600	293090
3	घरेलू गैस सिलेण्डर	HPCL	14.200	24.000	15.700	8.300	041362 I
एक भट्‌टी							

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सारणी–1 में वर्णित गैस सिलेण्डर व अन्य सामान को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु घनश्याम पुत्र कानाराम निवासी चिरपटिया मारवाड़ जंक्शन हाल कर्मचारी मैसर्स मंगलम एचपी गैस एजेन्सी मारवाड़ जंक्शन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही के मौके पर उपलब्ध मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स लिये गये जो वजह सबूत पत्रावली संलग्न है व निरीक्षण पर्चा मय फर्द अभिग्रहण एवं सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त घरेलु गैस सलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग में लेना आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत जारी आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किग्रा) एवं एक भट्‌टी को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी गलती नहीं दौहराने का कथन किया तथा अप्रार्थी के प्रति नम्र रूख अपनाते हुए कार्यवाही ड्रोप करते हुए जब्त गैस सिलेण्ड़र मय भट्‌टी दिलवाने का आदेश फरमावे।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार पर घरेलु गैस सलेण्डर का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग की रोकथाम हेतु भ्रमण दौरान पहुंचे, जहां पर अप्रार्थी संख्या 01 एवं मौके पर रूबरू मौतबिरान राजेन्द्र पुत्र जमनालाल निवासी माली मोहल्ला शमशान के पास मारवाड़ जंक्शन एंव श्री कन्हैयालाल पुत्र मूलाराम निवासी मारवाड़ जंक्शन की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म का निरीक्षण करने पर अप्रार्थी की फर्म में 03 एचपी कम्पनी के घरेलु गैस सिलेण्डर पाये गये, जिनसे मौके पर भट्टी से खाद्य सामग्री तैयार हो रही थी। उक्त गैस सिलेण्डर के उपयोग के बारे में अप्रार्थी ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया और न ही इसके सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये, जिसकी ताईद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण पंर्चा से होती है।

इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौकाफर्द के अवलोकन से भी यह जाहिर होता है कि घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग हो रहा था, जिस पर प्रार्थी द्वारा उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग रूकवाकर हैगिंग स्केल द्वारा तौल किया एवं एक भट्टी को कब्जे में लेकर मैसर्स मंगलम एचपी गैस एजेन्सी, मारवाड़ जंक्शन को सुपुर्द किया। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर द्रवित गैस, पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवसं विनियमन) आदेश 2000 के तहत की है। साथ ही अप्रार्थी ने स्वयं भी दौराने बहस घरेलु गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक उपयोग होना स्वीकार किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के उपबन्धों की अवहेलना की है। लिहाजा उक्त जब्तसुदा घंरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर उपरोक्त सारणी–1 में वर्णित घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग किए जाने पर जब्तसुदा घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) के अवैध भण्डारण एवं उपयोग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3ए, सी के उपबन्धों की अवहेलना किये जाने से उक्त 03 गैस सिलेण्डरों को मय गैस राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं एवं जब्त एक भट्टी को अप्रार्थीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की सत्यप्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरों को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 86(8)खा.ले./नीति/6ए/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली